बेबी रानी मौर्य
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली
उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या– 4825 /जी0एस0 / C13-2 / शिक्षा / 2019
देहरादून : दिनांक : 26 मार्च, 2019

आदेश

आदेश संख्या–2355 / जी0एस0 / शिक्षा / C13-2 / 2018 दिनांक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल के कुलपति पद का कार्यभार प्रो0 राजेश भल्ला, अधिष्ठाता (डीन), औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार को दिनांक 26 सितम्बर, 2018 से छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए दिया गया था। जिनका छः माह का कार्यकाल दिनांक 25 मार्च, 2019 को समाप्त हो गया है।

2. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल के नये नियमित कुलपति के चयन हेतु शासन स्तर से पैनल प्राप्त न होने के कारण नियमित नियुक्ति अभी सम्भव नहीं है।

3. विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2014 के परिनियम 4(तीन)(ख)(a)(सात) में कुलपति पद पर अंतरिम व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राविधान के अनुसार "........कुलाधिपति छः माह की अवधि या कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख तक, इसमें से जो भी कम हो, के लिए विश्वविद्यालय में वरिष्ठतम् संकायाध्यक्ष / अधिष्ठाता / निदेशक को कार्यवाहक कुलपति नियुक्त कर सकते हैं", जो कि परामर्शात्मक है। किन्तु विश्वविद्यालय में लागू उ0प्र0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958(यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–11(6) में कुलपति पद पर अंतरिम व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राविधान के अनुसार इन परिस्थितियों में "......... the kuladhipati(chancellor) shall be the sole judge), the kuladhipati(Chancellor) may appoint any suitable person to the office of Kulpati (Vice-Chancellor) for such term not exceeding six months as he may specify:"

4.. उक्त परिस्थिति में विश्वविद्यालय हेतु नियमित कुलपति की नियुक्ति हेतु पैनल प्राप्त न होने के कारण विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–11 की उपधारा 6(अ,ब एवं स) के अन्तर्गत कुलाधिपति में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरुषोत्तम, आयुक्त, गढवाल मण्डल को दिनांक 26 मार्च, 2019 से छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल के कुलपति पद का अतिरिक्त कार्यभार उनके वर्तमान पद के कार्यों एवं दायित्वों के साथ–साथ प्रदान किया जाता है।

बेबी रानी मौर्य
कुलाधिपति।

संख्या 4825 (1) / जी0एस0 / C13-2 / शिक्षा / 2018, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कृषि शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को नियमित कुलपति के चयन हेतु पैनल शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु।
4. डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरुषोत्तम, आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
5. प्रो0 राजेश भल्ला, अधिष्ठाता (डीन), औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार।(सम्प्रति कार्यवाहक कुलपति)
6. कुलसचिव, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल।
7. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
26/03/2019
(आर0के0 सुधांशु)
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।